निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 117 / 2022 तारीख दायरा 29.11.2022

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र नोलिया जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकाम –

   1/1 रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

   1/2 नन्दकुंवरी पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

      1/2/1 बद्रीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति माली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

   1/3 औंकारीबाई पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास। – वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नयापुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकाम –

   1/1 प्रताप बाई बैवा छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा।

   1/2 राजेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

      1/2/1 सुशीला पत्नि राजेन्द्र जाति माली,

      1/2/2 पुजा उर्फ प्रतीज्ञा पुत्री राजेन्द्र जाति माली,

      1/2/3 सलोनी पुत्री राजेन्द्र जाति माली,

      1/2/4 कुलदीप पुत्र राजेन्द्र जाति माली,

      1/2/5 शिवानी पुत्री राजेन्द्र जाति माली,

   1/3 भरत पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

   1/4 शिवशंकर पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1/5 शिला पुत्री छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

1/6 कृष्णा पुत्री छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

2. नन्दकिशोर पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी ग्राम कनवास, तहसील कनवास, कोटा।

3. भवानीबाई पत्नि फून्दीलाल पुत्री गोविन्दा जाति माली निवासी ग्राम गुंजारा तहसील कनवास जिला कोटा।

4. धन्नालाल पुत्र निहाला जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

4/1 पार्वतीबाई पत्नि धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/2 सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/3 छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/4 रूपचन्द पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/5 मोहनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/6 गीता पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा, कोटा।

4/7 सुरजी पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम जिठानी तहसील सांगोद कोटा।

5. नन्दलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

6. रमेश पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

6/1 मोहनीबाई बैवा रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/2 मुकेश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/3 चन्द्रप्रकाश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/4 दिनेश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/5 उषा पुत्री रमेश जाति माली निवासी कनवास,

7. जानाबाई पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

8. मोहनीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

9. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

11. मेनेजर दी कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद। – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :-

श्री किशोरीलाल चौधरी, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह दिनांक :- 17.08.2023

(वकील वादीगण)

श्री दुर्गाशंकर सुमन (वकील प्रति वादीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण न. 1 ता 9 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कनवास में ख.न. 2112 की 1 बिस्वा, ख.न. 2114 की 7 बिस्वा, ख.न. 2115 की 8 बिस्वा, ख.न. 2116 की 9 बिस्वा, 2117 की 7 बीघा 19 बिस्वा, 2118 की 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता की कुल 12 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थिति है। उपरोक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा है तथा सदैव से ही उसके 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त रहे हैं और प्रतिवादीगण भी उनके हिस्से के अनुसार ही काबिज काश्त रहें हैं। परन्तु अब प्रतिवादी न. 1 व 2 वादी को उसके हिस्से की आराजी नहीं हांकने देने तथा व्यवधान पैदा करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के निहित 1/3 हिस्से का खाता एवं लगान पृथक से दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई रूप से निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी स. 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री अब्दुल वहीद अंसारी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 4 ता 9 एवं प्रतिवादी सं. 11 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 10 प्रकरण में फार्मल पक्षकार है। इसके उपरान्त प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त दावा बहस में नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर दिनांक 13.11.2003 दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया तथा माल ग्राम कनवास में वादग्रस्त आराजी ख.न. 2112 की 1 बिस्वा, ख.न. 2114 की 7 बिस्वा, ख.न. 2115 की 8 बिस्वा, ख.न. 2116 की 9 बिस्वा, 2117 की 7 बीघा 19 बिस्वा, 2118 की 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता की कुल 12 बीघा 19 बिस्वा में निहित वादीगण के हिस्से को रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार कनवास को कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं कमीश्नर फीस 250 रूपये मुकर्रर की गई।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2003 के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2006 को खारिज कर दिया गया। इसके उपरान्त माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2003 के विरूद्ध अपील की गई जिसे भी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21.10.2022 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2003 को यथावत रखा गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि वादग्रस्त आराजी माल ग्राम कनवास की ख.न. 2112 की 1 बिस्वा, ख.न. 2114 की 7 बिस्वा, ख.न. 2115 की 8 बिस्वा, ख.न. 2116 की 9 बिस्वा, 2117 की 7 बीघा 19 बिस्वा, 2118 की 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता की कुल 12 बीघा 19 बिस्वा के नये साबिक ख.न. कायम किये गये है जो निम्न प्रकार हैं –

माल ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा
कनवास	406 नई	2144	0.01 है.
		2146	0.10 है.
		2147	0.06 है.
		2148	0.07 है.
		2149	0.90 है.
		2150	0.35 है.
		2151	0.61 है.

कुल 7 किता की 2.10 है. आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

प्रकरण में तहसीलदार कनवास द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाब दावा, तनकीयात, साक्ष्यवादी, उपरी न्यायालयों के निर्णय एवं विभाजन प्रस्ताव आदि का विवेचन करने के उपरान्त तहसीलदार कनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रसताव स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत विभाजन प्रसताव के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम कनवास पटवार हलका कनवास तहसील कनवास जिला कोटा में ख.न. 2144 रकबा 0.01 है0, ख.न. 2146 रकबा 0.10 है0, ख.न. 2147 रकबा 0.06 है0, ख.न. 2148 रकबा 0.07 है0, ख.न. 2149 रकबा 0.90 है0, ख.न. 2150 रकबा 0.35 है0, ख.न. 2151 रकबा 0.61 है0, कुल किता 7 की कुल 2.10 है0 आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
कनवास	बद्रीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति माली हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति माली	2144	0.01 है.	गै.मु.ढेरी
		2149	0.57 है. पूर्वी	चाही दोयम
		2150	0.12 है. पश्चिमी	चाही दोयम
		कुल 3 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
कनवास	नन्दकिशोर पुत्र गोविन्दा हिस्सा 2/3, कृष्णा पुत्री छीतर हिस्सा 1/18, शीला पुत्री छीतर जाति माली हिस्सा 1/18, सुशील पत्नि राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, पुजा उर्फ	2150	0.23 है. पूर्वी	चाही दोयम
		2151	0.47 है. पश्चिमी	बीड प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

	प्रतीक्षा पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, सलोनी पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, कुलदीप पुत्र राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, शिवानी पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, शम्भूबाई पत्नि देवलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/12, सुनीता बाई पत्नि राजू हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर			
		कुल 2 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
कनवास	पार्वती पत्नि धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, रूपचन्द पुत्र धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, मोहनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, गीता पुत्री धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, सुरजी पुत्री धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, उषा पुत्री रमेशचन्द्र हिस्सा 1/40, मोहनी बाई पत्नि रमेशचन्द्र	2146	0.10 है.	बारानी III
		2147	0.06 है.	चाही दोयम
		2148	0.07 है.	चाही दोयम
		2149	0.33 है. पश्चिमी	चाही दोयम
		2151	0.14 है. पूर्वी	बीड प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

	हिस्सा 1/40, दिनेश,मुकेश, चन्द्रप्रकाश पुत्रान रमेशचन्द हिस्सा 3/40, नन्दलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 3/8			
		कुल 5 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में विभाजन प्रस्ताव अनुसार आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज की जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा विभाजन के उपरान्त तहसीलदार कनवास द्वारा खातेदारान को विभाजनानुसार आराजी पर कब्जा दिलवाया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
कनवास जिला कोटा (राज०)

निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
कनवास जिला कोटा (राज०)

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 117/2022 — तारीख दायरा 29.11.2022

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र नोलिया जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकाम –
   - 1/1 रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास।
   - 1/2 नन्दकुंवरी पुत्री रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –
     - 1/2/1 बद्रीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति माली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
   - 1/3 औंकारीबाई पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम कनवास। – वादीगण

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी नयापुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकाम –
   - 1/1 प्रताप बाई बैवा छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा।
   - 1/2 राजेन्द्र पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –
     - 1/2/1 सुशीला पत्नि राजेन्द्र जाति माली,
     - 1/2/2 पुजा उर्फ प्रतीज्ञा पुत्री राजेन्द्र जाति माली,
     - 1/2/3 सलोनी पुत्री राजेन्द्र जाति माली,
     - 1/2/4 कुलदीप पुत्र राजेन्द्र जाति माली,
     - 1/2/5 शिवानी पुत्री राजेन्द्र जाति माली,
   - 1/3 भरत पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

1/4 शिवशंकर पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

1/5 शिला पुत्री छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

1/6 कृष्णा पुत्री छीतरलाल जाति माली निवासी नयापुरा कोटा।

2. नन्दकिशोर पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी ग्राम कनवास, तहसील कनवास, कोटा।

3. भवानीबाई पत्नि फून्दीलाल पुत्री गोविन्दा जाति माली निवासी ग्राम गुंजारा तहसील कनवास जिला कोटा।

4. धन्नालाल पुत्र निहाला जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

4/1 पार्वतीवाई पत्नि धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/2 सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/3 छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/4 रूपचन्द पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/5 मोहनलाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी कनवास,

4/6 गीता पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा, कोटा।

4/7 सुरजी पुत्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम जिठानी तहसील सांगोद कोटा।

5. नन्दलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

6. रमेश पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम –

6/1 मोहनीबाई बैवा रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/2 मुकेश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/3 चन्द्रप्रकाश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/4 दिनेश पुत्र रमेश जाति माली निवासी कनवास,

6/5 उषा पुत्री रमेश जाति माली निवासी कनवास,

7. जानाबाई पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

8. मोहनीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

9. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम कनवास।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

2. मैनेजर दी कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री किशोरीलाल चौधरी, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह दिनांक :– 17.08.2023

(वकील वादीगण)

श्री दुर्गाशंकर सुमन (वकील प्रति वादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते हुक्म निर्णय बराई अव्वल पुत्र श्री शिवराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री किशोरीलाल चौधरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई समक्ष श्री दुर्गाशंकर सुमन प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम कनवास पटवार हलका कनवास तहसील कनवास जिला कोटा के ख.न. 2144 रकबा 0.01 है0, ख.न. 2146 रकबा 0.10 है0, ख.न. 2147 रकबा 0.06 है0, ख.न. 2148 रकबा 0.07 है0, ख.न. 2149 रकबा 0.90 है0, ख.न. 2150 रकबा 0.35 है0, ख.न. 2151 रकबा 0.61 है0, कुल किता 7 की कुल 2.10 है0 आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
कनवास	बद्रीलाल पुत्र कजोडीलाल जाति माली हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति माली	2144	0.01 है.	गै.मु.ढेरी
		2149	0.57 है. पूर्वी	चाही दोयम
		2150	0.12 है. पश्चिमी	चाही दोयम
		कुल 3 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कनवास	नन्दकिशोर पुत्र गोविन्दा हिस्सा 2/3, कृष्णा पुत्री छीतर हिस्सा 1/18, शीला पुत्री छीतर जाति माली हिस्सा 1/18, सुशील पत्नि राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, पुजा उर्फ प्रतीज्ञा पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, सलोनी पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, कुलदीप पुत्र राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, शिवानी पुत्री राजेन्द्र जाति माली हिस्सा 1/90, शम्भूवाई पत्नि देवलाल जाति गुर्जर हिस्सा 1/12, सुनीता वाई पत्नि राजू हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर	2150	0.23 है. पूर्वी	चाही दोयम
		2151	0.47 है. पश्चिमी	बीड प्रथम
		कुल 2 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

माल ग्राम	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
कनवास	पार्वती पत्नि घन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, सत्यनारायण पुत्र घन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, छोटूलाल पुत्र घन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, रूपचन्द पुत्र घन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, मोहनलाल पुत्र घन्नालाल जाति माली हिस्सा	2146	0.10 है.	बारानी III
		2147	0.06 है.	चाही दोयम
		2148	0.07 है.	चाही दोयम
		2149	0.33 है. पश्चिमी	चाही दोयम
		2151	0.14 है. पूर्वी	बीड प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

	1/14, गीता पुत्री धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, सुरजी पुत्री धन्नालाल जाति माली हिस्सा 1/14, उषा पुत्री रमेशचन्द्र हिस्सा 1/40, मोहनी बाई पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा 1/40, दिनेश,मुकेश, चन्द्रप्रकाश पुत्रान रमेशचन्द हिस्सा 3/40, नन्दलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 3/8			
		कुल 5 किता की कुल 0.70 है. आराजी		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में विभाजन प्रस्ताव अनुसार आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज की जाकर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा विभाजन के उपरान्त तहसीलदार कनवास द्वारा खातेदारान को विभाजनानुसार आराजी पर कब्जा दिलवाया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... x ...मुवलिग .... x ...बाबत ... x . .खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... x ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.08.2023 को जारी की गई।

मोहर ....

दिव्यराज सिंह चूण्डावत
उपखण्ड अधिकारी कनवास
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
टाम्प अर्जीदावा	....	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	....	---NIL---	
टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
हनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
ब्रर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
ाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
ुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

दिव्यराज सिंह चुण्डावत
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)